



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान  
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

भिसल नं.  
157/2023

तारीख दायर  
20/09/2023

तारीख फैसला  
12/08/2025

1. गंगाराम पुत्र रामधन
2. जगदीश प्रसाद पुत्र पांचूराम
3. छोटी देवी पत्नी प्रकाश
4. मंगली देवी पत्नी अर्जुनलाल  
समस्त जाति गुर्जर निवासी स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी  
ग्राम घोला तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उगन्ती देवी पत्नी कन्हैयालाल
2. ममता देवी पत्नी पप्पू
3. लक्ष्मा देवी पत्नी रामस्वरूप
4. सूजी देवी पत्नी भगवान सहाय  
समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम खेरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजू पुत्र नाथूराम जाति बलाई निवासी ग्राम लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर  
राजस्थान।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री सत्यपाल गुर्जर :- वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

-: निर्णय :-

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके प्रार्थी सं0 1 व 2 की सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 230/220 रकबा 0.9168है0 व प्रार्थी सं0 3 व 4 की सामलाती भूमि खसरा नम्बर 229/220 रकबा 0.9167है0 स्थित है जो ग्राम धौला पटवार हल्का धौला तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 220/257 रकबा 1.8335है0 रहे है तथा विभाजन के बाद उक्त भूमि के खसरा नम्बर 230/220, 229/220 बने है तथा उक्त भूमि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में परिवर्तन होने के पश्चात प्रार्थीगण ने मूल खातेदारों से क्रय की है तथा उक्त भूमियों पर पूर्व नवों अनुसार ही पूर्व खातेदारों के कब्जे काश्त अनुसार ही प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पूर्व नक्शों में तरमीम शुदा अंकित रही है लेकिन हाल किये गये सेकरीकेशन कार्यवाही में राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थीगणों से मिलीभगत करते हुये अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220/265 रकबा 1.2645है0 जो पूर्व नक्शों में दूसरी जगह तरमीम शुदा स्थित थी को प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 230/220 व 229/220 के दक्षिणी हिस्से को कम करते हुये उनके स्थान पर पूर्व नक्शा कायम कर दिया गया जबकि पूर्व नक्शों में खसरा नम्बर 220/265 अन्यत्र जगह स्थित थी तथा खसरा नम्बर 220/250 को राजस्व नक्शों बढ़ाते हुये खसरा नम्बर 230/220 के स्थान पर बढ़ाकर नवीन राजस्व नक्शा कायम कर दिया गया जिससे प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान राजस्व नक्शों में कम हो गई तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से की गई उक्त त्रुटि से प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 230/220 व 229/220 का रकबा नक्शों में कम हो गया। प्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 220/265 व 220/250 की भूमि को राजस्व नक्शों में प्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर नक्शा कायम करने का कोई अधिकार राजस्व कर्मचारियों को नहीं है। जबकि प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 220/257 की उत्तर

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

दक्षिण की लम्बाई लगवा खसरा नम्बर 220/261 व 220/251 जितनी ही पूर्व नक्शों में अंकित ही है और उसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी सं० 1 ता 4 की भूमि खसरा नम्बर 220/265 जो कि जिस स्थान पर पूर्व नक्शों में अंकित थी उसी स्थान पर अप्रार्थी सं० 1 ता 4 भी काबिज काश्त है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर प्रार्थीगण की नक्शों में की गई त्रुटि को दुरुस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः उक्त वादांकित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 230/220, 229/220 के वर्तमान राजस्व नक्शों को दुरुस्त कर उपरोक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 220/257 के सेकरीकेशन से पूर्व राजस्व नक्शों व पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी रजि० ए०डी० से करवाई गई। अप्रार्थी सं० 1 ता 4 ने दिनांक 6.2.24 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी सं० 5 बायूजद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं० 1 ता 4 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि पूर्व खसरा नम्बर 220/257 रकबा 1.335 है० के विभाजन के बाद खसरा नम्बर 230/220 व 229/220 बने हैं व मिन उत्तरदाता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220/265 रकबा 1.2645 है० जो पूर्व नक्शों में दूसरी जगह तरमीम शुदा स्थित थी को प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 230/220 व 229/220 के दक्षिणी हिस्से को कम करते हुये उसके स्थान पर पूर्व नक्शा खसरा नम्बर 220/257 के विपरित जाते हुये राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से नक्शा कायम कर दिया गया जबकि मिन उत्तर की भूमि खसरा नम्बर 220/265 वर्तमान राजस्व नक्शे के स्थान पर ना होकर दुसरी जगह नक्शे में स्थित थी और उसी अनुसार मौके पर मिन उत्तरदाता काबिज काश्त चले आ रहे हैं। यदि उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 220/265 जो कि पूर्व नक्शे में जहा स्थित थी नक्शा दुरुस्त किया जाकर उक्त भूमि को पूर्व नक्शों अनुसार ही वर्तमान नक्शों में तरमीम किया जावे व प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 230/220, 229/220 को पूर्व खसरा नम्बर 220/257 के राजस्व नक्शों अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शों को दुरुस्त किया जावे। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 230/220 व 229/220 के वर्तमान राजस्व नक्शों को दुरुस्त कर उपरोक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 220/257 के पूर्व राजस्व नक्शों के अनुसार दुरुस्त कर दिया जावे साथ ही अप्रार्थीगण की भूमि 220/265 को वर्तमान राजस्व नक्शे को हटाया जाकर पूर्व राजस्व नक्शों अनुसार जहाँ पर मौके पर अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है अनुसार दुरुस्त कर दिया जावे।


अप्रार्थी सं० 6 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/25/5988 दिनांक 19.05.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं० 1 (पैरोकार सरकार) ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम धौला के खसरा नम्बर 229/220 रकबा 0.9167 है० किस्म फूड प्रोसेसिंग यूनिट यूनिट प्रार्थी सं० 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी व खसरा नम्बर 290/220 रकबा 0.9168 है० किस्म फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रार्थी सं० 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। ग्राम धौला के नामा० सं० 1196 दिनांक 20.12.2021 (विभाजन) द्वारा खसरा नम्बर 220/257 रकबा 1.835 है० किस्म बरानी 3 के विभाजन पश्चात खसरा नम्बर 229/220 रकबा 0.9167 है० किस्म बरानी 1 मामराज हरिजन पुत्र भंवर हरिजन हि० पूर्ण जाति भंगी नि० वार्ड नं० 10 हरिजन मोहल्ला ग्राम अचरोल व खसरा नम्बर 230/220 रकबा 0.9168 है० किस्म बरानी 1 मोहनलाल पुत्र कालूराम हि० पूर्ण जाति बलाई सा० बहलोल खातेदार का अंकन स्वीकार हुआ। नामा० सं० 119 दिनांक 25.01.22 रूपान्तरण द्वारा खसरा नम्बर 229/220 रकबा 0.9167 है० किस्म फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्वीकार हुआ व नामा० सं० 1200 दिनांक 12.1.22 द्वारा खसरा नम्बर 230/220 रकबा 0.1968 है० किस्म फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अंकन स्वीकार हुआ। तत्पश्चात नामा० सं० 1213 दिनांक 24.03.22 (उपहार) द्वारा खसरा नम्बर 229/220 में छोटी देवी पत्नि प्रकाश हि० 1/2, मंगली देवी पत्नी अर्जुन लाल हि० 1/2 जाति गुर्जर नि० ढाणी पोसवालों की ग्राम अर्जुनपुरा नामा० सं० 1214 दिनांक 24.03.22 (उपहार) द्वारा खसरा नम्बर 230/220 में गंगाराम पुत्र रामधन हि० 1/2 जगदीश प्रसाद पुत्र पांचु राम हि० 1/2 जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं० 11 नया डहर की ढाणी ग्राम स्यारी तह० आमेर का अंकन स्वीकार हुआ। ग्राम धौला के संवत् 2020 के राजस्व नक्शों को सेग्रीगेशन पश्चात पॉलिस्टर शीट में उक्त खसरा नम्बर 229/220, 230/220, (सम्मिलित खसरा नम्बर 220/257), 220/266

उपस्थित अधिकारी  
जमनालाल

220/262, 220/265 तरमीम शुदा है। सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शा लटडा कपडे के नक्शा शीट मे उक्त खसरा नम्बर 220/257, 220/261, 220/262, 220/254, 220/251 की तरमीम स्पष्ट नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 220/257, 220/261, 220/251, 220/262, 220/254, 220/255, 220/253, 220/252, 220/258, 220/256 का तरमीम शुदा पटवारी द्वारा प्रमाणित दिनांक 24.12.98 नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की। जो कि वर्तमान नक्शा मे तरमीम शुदा खसरा नम्बरान की तरमीम से भिन्न है। हाल सेग्रीगेशन के नक्शे से पूर्व कपडे के शीट मे खसरा नम्बर 220/257, 220/261, 220/262, 220/265, 220/251 की तरमीम शुदा है। जो कि स्पष्ट नही है। वर्तमान ऑन लाईन सेग्रीगेशन नक्शा मे उक्त खसरा नम्बरान तरमीम शुदा है जो कि मौके से भिन्न है। मौके पर खसरा नम्बर 220/265 वर्तमान नक्शों मे तरमीम शुदा नक्शों पर काबिज न होकर अन्यत्र काबिज है। जहाँ अन्य खसरा नम्बरान तरमीम शुदा है वर्तमान नक्शों मे खसरा नम्बर 220/257 की तरमीम भी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रकबे से कम रकबा बरारी में की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस से भिन्न है। मूल खसरा नम्बर 220 मे की गई लाल स्याही से तरमीम मौके भिन्न है। अतः मूल खसरा नम्बर 220 मे की गई समस्त तरमीमों का मौका मिलान करते हुये सर्वे करने के पश्चात ही तरमीम दुरुस्ती प्रस्तावित की जा सकती है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम धौला, पटवार हल्का धौला, तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 230/220 रकबा 0.9168 व खसरा नम्बर 229/220 रकबा 0.9167 है 0 के हाल नक्शा तरमीम को पूर्व खसरा नम्बर 220/257 के सेग्रीगेशन के पूर्व नक्शे अनुसार रकबा बरारी करते हुए तरमीम दुरुस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ